खण्ड–13, अंक–9
सोमवार, चैत्र 22, शक संवत् 1927
(12 अप्रैल, 2005 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

पुस्तकालय
791

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2005)

(खण्ड 13 में 9 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2005

मूल्य :

विषय–सूची

पुस्तकालय ... सभा ... पुस्त सं० 791 ... देहरादून

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
हल्द्वानी में सभासद की पत्नी के हत्यारों पर कार्यवाही न होने एवं संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा के विषय को नियम 311 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास	1–3
प्रश्नोत्तर	3–12
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	12–13
जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में जाफरपुर–दिनेशपुर मार्ग वाया विजयनगर होते हुए चितरंजनपुर नं0 1 तक के मार्ग का, पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	13
जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–गदरपुर मार्ग वाया चन्दननगर होते हुए दिनेशपुर–गुलरमोज (खटोला) तक के मार्ग की मरम्मत व पुनः निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	13
जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–गदरपुर मार्ग वाया पिपलिया होते हुए एन0 एच0–74 (महतोष मोड़) तक के मार्ग के पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	14
जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–जाफरपुर मार्ग वाया आनन्दखेड़ा होते हुए एन0एच0–74 (महेशपुर) तक के मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	14
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी, भण्डारस्यूं में भागीरथी नदी (नालूथाणी) से दनाऊं तक लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	14
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी भण्डारस्यूं के कल्याणी ग्राम में हाईस्कूल खोलने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	14
विधान सभा समितियों के गठन हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	15

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	15–16
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	16
उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 (पारित)	16–27
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित)	27–28
वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्यपक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–01, विधान सभा, अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं विभाग, अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या 21, ऊर्जा विभाग	29–33
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 (पारित)	37–37
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	37
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव	37–38

क

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्री अरविन्द पाण्डे
5–श्रीमती आशा देवी
6–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8–श्री काशी सिंह ऐरी
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री कैलाश शर्मा
11–श्री कौल दास
12–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
13–श्री गोपाल सिंह
14–श्री गोविन्द लाल
15–श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
16–श्री चन्द्रशेखर
17–श्री जोत सिंह
18–श्री तसलीम अहमद
19–श्री तिलक राज बेहड़
20–श्री दिनेश अग्रवाल
21–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22–श्री नव प्रभात
23–श्री नारायण पाल
24–श्री नारायण राम आर्य
25–श्री नारायण सिंह जंतवाल
26–काजी निजामुद्दीन
27–श्री प्रकाश पंत
28–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29–डा0 प्रताप बिष्ट
30–श्री प्रदीप टम्टा
31–श्री प्रीतम सिंह
32–श्री प्रीतम सिंह पंवार
33–श्री प्रेमानन्द महाजन
34– श्री पुष्पेश त्रिपाठी
35–श्री फूल सिंह बिष्ट
36–श्री बलबीर सिंह नेगी
37–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
38–श्री विशन सिंह चुफाल
39–श्री भगत सिंह कोश्यारी
40–श्री मदन कौशिक
41–श्री महेन्द्र भट्ट
42–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
43–श्री मातबर सिंह
44–श्री मालचन्द्र
45–चौ0 यशवीर सिंह
46–श्री रणजीत सिंह
47–श्री राम प्रसाद टम्टा
48–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
50–श्री सहजाद
51–श्री सुबोध उनियाल
52–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
53–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
54–श्री सुरेश चन्द
55–डा0 हरक सिंह रावत
56–श्री हरबंस कपूर
57–श्री हरभजन सिंह चीमा
58–श्री हरीदास
59–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
60–श्री हीरा सिंह बिष्ट
61–श्री हेमेश खर्कवाल
62–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

हल्द्वानी में सभासद की पत्नी के हत्यारों पर कार्यवाही न होने एवं संविधान के 85वां संशोधन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा के विषय को नियम 311 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

(माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सभासद श्री धीरेन्द्र रावत जी की पत्नी की हत्या कर दी गई और 12 दिन हो गये, पर आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, सरकार का कोई पक्ष नहीं आया है, इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में अनुमति नहीं दे रहे हैं, विभागवार चर्चा होनी है, उसमें आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हमारी भी नियम 311 की सूचना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कल हम कार्य स्थगन में ला रहे थे, पर नहीं आया इस लिए आज नियम 311 में लाये हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री के आवास के पास का मामला है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस पर चर्चा कराया जाना अति आवश्यक है, यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, यह उत्तरांचल की सबसे गम्भीर घटना है।

श्री अध्यक्ष–

आज गृह विभाग का बजट पेश होना है, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री भगतसिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो यह बात आप पर और हम पर भी आयेगी।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव के नियम के अन्तर्गत यह है कि .... (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर हमारी बात सुनिये। (माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी अपने स्थान से माननीय अध्यक्ष पीठ के निकट आ गये तथा कुछ पर्चे माननीय अध्यक्ष जी की मेज पर रखकर वेल में चले गये, तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी व श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आ गये तथा अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण पाल जी की सूचना पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

(वेल में खड़े सभी माननीय सदस्य नारे लगाने लगे [X X X])

आज गृह विभाग के बजट के दौरान आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा, कृपया आसन ग्रहण करें।

(वेल में खड़े सभी माननीय सदस्यों तथा माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर सभी सदस्य वेल में खड़े होकर नारे लगाते रहे [X X X])

श्री अध्यक्ष–

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें। प्रश्नकाल आपका है, प्रश्नकाल होने दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर सभी सदस्य वेल से अपनी–अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे जिस कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न होने लगा),

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आज गृह विभाग का बजट पेश होना है आप अपनी बात उसमें रख सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट–[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण वेल में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे [X X X])

(वेल में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी–अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी सेवा में आरक्षण नीति

** 1–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या मुख्यमंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण प्रदान करने की नीति पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक नियोजन में आरक्षण संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है। संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को पृथक से आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

नोट–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

देहरादून के कौलागढ़ क्षेत्र में टेलीकॉम टावर के संचालन हेतु प्रयुक्त जेनरेटर से उत्पन्न समस्या

* 1–श्री हरबंस कपूर–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कौलागढ़ क्षेत्र देहरादून में टाटा टेलीकॉम द्वारा टेलीकॉम टावर तथा उक्त टावर के संचालन हेतु जेनरेटर सेट लगाया जा रहा है ?

यदि हां, तो क्या मंत्री जी टेलीकॉम टावर एवं जेनरेटर सेट से उत्पन्न समस्याओं से अवगत हैं ?

यदि हां, तो इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि टेलीकॉम टावर एवं जेनरेटर सेट के संचालन हेतु पूर्व में बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 यू0ई0पी0पी0सी0बी0/एच0ओ0/एन0ओ0सी0–219/05/3601, दिनांक 24–03–2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया है ?

यदि हां, तो जेनरेटर सेट का संचालन बन्द न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

जी हां।

जी हां।

शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त टेलीकॉम टावर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में जेनरेटर सेट द्वारा ध्वनि प्रदूषण मानकों का अनुपालन न करने की बात सही पाये जाने पर बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत अनापत्ति पत्र निरस्त कर दिया गया है।

जी हां।

वर्तमान में जेनरेटर संचालन बन्द है।

<u>तारांकित प्रश्न</u>

* 1–श्री मदन कौशिक–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

वन्य प्राणियों द्वारा आबादी क्षेत्र में हुए नुकसान की रोकथाम

* 2–श्री हरबंस कपूर–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन्य प्राणियों के आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाने से होने वाले जान–माल के नुकसान से क्षेत्रवासियों को बचाने के लिए कोई योजना है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवप्रभात—

जी हां, ग्रामीण क्षेत्र में इस आशय से प्रतिरोधात्मक व्यवस्था की जाती है।

वन्य प्राणियों के आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाने से होने वाले जानमाल के नुकसान से क्षेत्रवासियों को बचाने के लिए वन विभाग की वर्तमान में निम्न योजनाएं हैं :—

(1) सोलर फैंसिंग,

(2) खाई खोदना,

(3) जान—माल का मुआवजा

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी अन्तर्गत यमकेश्वर की माण्डलू ग्वील, रिगांलपाणी आदि मोटर मार्गों का निर्माण

1—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की माण्डलू ग्वील, रिगांलपाणी मोटर मार्ग, देवीखेत जामल, अमाल्डू, मोटर मार्ग तथा जाखणीखाल व्यासघाट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लगभग दस वर्षों से लम्बित है ?

यदि हां, तो उक्त मोटर मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

जी नहीं। स्वीकृत लम्बाई में मार्ग निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के विकास खण्ड जाखणीधार अन्तर्गत कोटी—गराकोट सड़क का निर्माण

2—श्री किशोर उपाध्याय—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि टिहरी जनपद के विकास खण्ड जाखणीधार के अन्तर्गत कोटी—गराकोट सड़क का निर्माण न होने के कारण स्थानीय निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हल्का वाहन. मार्ग निर्मित है तथा यातायात हेतु सुलभ है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कोशियार–अखोड़ीसैंण मार्ग से प्रभावितों का मुआवजा

3–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि 1970–71 में जनपद टिहरी गढ़वाल के कोशियार–अखोड़ीसैंण मार्ग से प्रभावित कृषकों को अभी तक मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि 34 वर्षों के उपरान्त भी मुआवजा न देने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नवप्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

4–श्री हरबंस कपूर–

चतुर्थ सोमवार के अता0 प्र0 सं0–5 में स्थानान्तरित।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्राम पंचायत गंडासू में मोलागाड़ तोक में झूला पुल निर्माण की मांग

5–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्राम पंचायत गंडासू में मोलागाड़ तोक में झूला पुल निर्माण की मांग जनता द्वारा की जा रही है ?

यदि हां, तो उक्त संदर्भ में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

आगणन गठित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी विकास विभाग में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अवर अभियंताओं का समायोजन

6—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी विकास विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को रिक्त अवर अभियंताओं के चयन हेतु कोई अधियाचन भेजा गया था ?

यदि हां, तो कितने पदों हेतु ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अवर अभियंताओं का समायोजन हो गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक समायोजन हो जायेगा ?

श्री नवप्रभात—

जी हां।

19 पदों हेतु।

जी नहीं।

प्रकरण विचाराधीन है।

शहरी विकास विभाग अन्तर्गत अवर अभियंताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति

7—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत अवर अभियंताओं के कितने पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के अन्तर्गत कितने अवर अभियंता कार्यरत हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कार्यरत अवर अभियंताओं में कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

क्या मंत्री जी रिक्त स्थानों को भरने हेतु उचित कार्यवाही करेंगे ?

यदि हां, तो कब तक ?

श्री नवप्रभात—

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत अवर अभियंताओं के कुल 37 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 20 अवर अभियंता कार्यरत हैं।

कार्यरत अवर अभियंताओं में 12 नियमित तथा 8 तदर्थ रूप में कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त स्थानीय निकायों में अध्यक्षों/मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों द्वारा दैनिक वेतन और संविदा पर नियुक्त 27 अवर अभियंता भी कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद उत्तरकाशी के चामी सिंगुणी नौगांव गोडर एवं स्योरी मोटर मार्गों का विस्तारीकरण

8–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1548/लो0नि0वि0/03–04, दिनांक 26–6–2003 सचिव, लोक निर्माण, उत्तरांचल शासन को प्राप्त हुआ था ?

यदि हां, तो क्या पत्र के अनुसार शासनादेश संख्या–8448/लो0नि0वि0/2002/02–95 प्रा0आ0/02, दिनांक 19–12–2002 में क्रमशः जनपद उत्तरकाशी के चामी सिंगुणी नौगांव गोडर मोटर मार्ग विस्तार कार्य 05 कि0मी0 व नौगांव स्योरी मोटर मार्ग विस्तारीकरण कार्य 02 कि0मी0 कराये जाने के लिए संशोधन अपेक्षित था ?

यदि हां, तो उपरोक्तानुसार संशोधन कर दोनों मोटर मार्गों का विस्तार कार्य करवा लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नये कार्यों की स्वीकृति वांछित थी। इन नये कार्यों हेतु आंगणन गठित किये जा रहे हैं। कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

9–श्री किशोर उपाध्याय–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड द्वाराहाट अन्तर्गत कफड़ा–बग्वालीपोखर मोटर मार्ग का निर्माण

10–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कफड़ा–बग्वालीपोखर मोटर मार्ग वाया छबीसा स्वीकृत हो चुका है ?

यदि हां, तो कब ?

तथा आज तक उक्त मोटर मार्ग पर कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां। मार्ग छबीसा–बग्वालीपोखर नाम से स्वीकृत है।

फरवरी, 2004 में।

समरेखन विवाद।

11—श्री महेन्द्र भट्ट—

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद चमोली के पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग का हाटमिक्स प्लान्ट से डामरीकरण

12—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पर वी0एम0एस0डी0सी0 के माध्यम से हाटमिक्स प्लान्ट से सड़क का डामरीकरण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हां। (अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के पन्तनगर—गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में ईंट के भट्टों द्वारा प्रदूषण

13—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के पन्तनगर—गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2002—03 व 2003—04 में कितने ईंट भट्टों द्वारा प्रदूषण संबंधी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किये गये ?

क्या सरकार ईंट भट्टों की चिमनी द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को समाप्त किये जाने हेतु कोई उपाय कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवप्रभात—

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के पन्तनगर—गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2002—03 में 01 तथा 2003—04 में 01 ईंट भट्टे को प्रदूषण संबंधी अनापत्ति—पत्र दिये गये हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में ईंट भट्टों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थिर पक्की चिमनी एवं ग्रेवीटेशनल सेटलिंग चैम्बर स्थापित किये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त भट्टों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव—चौबाटी मोटर मार्ग के डामरीकरण की जांच

14—श्री विशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव—चौबाटी मोटर मार्ग का किलोमीटर 2 में वर्ष 2003 में ही डामरीकरण किया गया है, जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य की जांच करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के नाचनी भैंसकोट के अवरूद्ध सड़क मार्ग को खोले जाने हेतु धन की स्वीकृति

15—श्री विशन सिंह चुफाल—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 के प्रथम मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि पिथौरागढ़ के नाचनी भैंसकोट की अवरूद्ध सड़क को खोले जाने हेतु धन की स्वीकृति दे दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

इस मार्ग को खोलने हेतु स्वीकृति उपरान्त रुपये 1.00 लाख व्यय किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार

पिथौरागढ़ जनपद में बांकू—पुल से बांकू तक बन्द सड़क को खोले जाने हेतु धन की स्वीकृति

16—श्री विशन सिंह चुफाल—

विधान सभा तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि पिथौरागढ़ जनपद में बांकू—पुल से बांकू तक बन्द दो कि0मी0 सड़क को पूर्णतया खोले जाने हेतु धन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

इस मार्ग को खोलने हेतु स्वीकृति उपरान्त रुपये 1.30 लाख व्यय किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

जिला नगरीय विकास अभिकरण, हरिद्वार के पूर्व परियोजना अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की कार्यवाही

17–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या नगर विकास मंत्री भिज्ञ हैं कि जिला नगरीय विकास अभिकरण, हरिद्वार के पूर्व परियोजना अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ?

क्या जिलाधिकारी, हरिद्वार ने भी उक्त शिकायतों को सही पाते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजी है ?

यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवप्रभात–

जी हां।

जी हां।

प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में 31 मार्च, 2002 से पूर्व स्वीकृत सड़कों का निरस्तीकरण

18–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में 31 मार्च, 2002 से पूर्व स्वीकृत सड़कें जिनमें कि कार्य प्रारम्भ भी नहीं किया को निरस्त कर दिया गया है ?

यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 12 बजकर 20 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों से बार–बार अनुरोध कर चुका हूं, आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, डा0 नारायण सिंह जंतवाल, श्री प्रकाश पंत, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरीदास, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री नारायण पाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री माल चन्द्र, श्री अनिल नौटियाल तथा श्रीमती आशा नौटियाल की कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इन सभी सूचनाओं को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आ गये और अपनी–अपनी बात को कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी ने उत्तरांचल में शासकीय सेवाओं में पदोन्नति के रोस्टर की आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता न प्रदान किये जाने के संबंध में सूचना दी है, मैं इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपरान्ह 3.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े हो गये)

* श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि अब तो हमारी 311 की सूचना को सुन लीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसलिए हम इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज 311 की हमारी सूचना पर बहस हो। मान्यवर, डी0एम0 कम्पाउन्ड में एक महिला की निर्मम हत्या के 12 दिन बाद भी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह लॉ एण्ड आर्डर का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आकर अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए खड़े नहीं हुए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में जाफरपुर–दिनेशपुर मार्ग वाया विजयनगर होते हुए चितरंजनपुर नं0 1 तक के मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

* श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में जाफरपुर–दिनेशपुर मार्ग वाया विजय नगर होते हुए चितरंजनपुर नं0 1 तक के मार्ग के पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री देवप्रसाद विश्वास एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(वेल पर खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे [X X X])

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–गदरपुर मार्ग वाया चन्दननगर होते हुए दिनेशपुर–गुलरभोज (खटोला) तक के मार्ग के मरम्मत/पुनः निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–गदरपुर मार्ग वाया चन्दननगर होते हुए दिनेशपुर–गुलरभोज (खटोला) तक के मार्ग के मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री तारक चन्द्र बाछाड़ एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–गदरपुर मार्ग वाया पिपलिया होते हुए एन0एच0–74 (महतोष मोड़) तक के मार्ग के पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–गदरपुर मार्ग वाया पिपलिया होते हुए एन0एच0–74 (महतोष मोड़) तक के मार्ग के पुनः निर्माण–मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री प्रणव शाह एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–जाफरपुर मार्ग वाया आनन्दखेड़ा होते हुए एन0एच0–74 (महेशपुर) तक के मार्ग के पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में दिनेशपुर–जाफरपुर मार्ग वाया आनन्दखेड़ा होते हुए एन0एच0–74 (महेशपुर) तक के मार्ग के पुनः निर्माण–मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री विनय कुमार एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य वेल में बैठकर नारे लगाने लगे [X X X])

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी भण्डारस्यूं में भागीरथी नदी (नालूथाणी) से दनाऊं तक लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी भण्डारस्यूं में भागीरथी नदी (नालूथाणी) से दनाऊं तक लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री वृजमोहन अवस्थी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी भण्डारस्यूं के कल्याणी ग्राम में हाईस्कूल खोलने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी भण्डारस्यूं के कल्याणी ग्राम में हाईस्कूल खोलने के सम्बन्ध में" श्री रविन्द्र लाल एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा समितियों के गठन हेतु मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने के लिए माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, में कार्य करने के लिए माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 अप्रैल, 2005 की बैठक में दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>अप्रैल, 2005</u>

12 मंगलवार

1–उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 का विचार एवं पारण (पन्द्रह मिनट)

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 का विचार एवं पारण (पन्द्रह मिनट)

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा)

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी, से यह सदन सहमत है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई, उन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कोई संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 24 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या   वर्ष, 2005)

उत्तरांचल लोक पुस्तकालयों की स्थापना तथा सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए

उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :–

विधेयक

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल लोक पुस्तकालय अधिनियम, 2005 कहलायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा;

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "मान्यता प्राप्त पुस्तकालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार राज्य सरकार अथवा निदेशक से मान्यता प्राप्त घोषित ऐसे पुस्तकालय से है, जो जन सामान्य के लिए हो;

(ख) "समिति" का तात्पर्य राज्य पुस्तकालय समिति से है;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक से है;

(घ) "जनपद" का तात्पर्य राजस्व जनपद से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार से है;

(छ) "पुस्तकालय उपकर" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से है;

(ज) "अधिसूचना" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(झ) "विहित" का तात्पर्य अधिनियम के अधीन विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं से है;

(ट) "लोक पुस्तकालय" का तात्पर्य–

(एक) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित पुस्तकालय से है, जिसमें उसकी शाखाएं तथा पुस्तकों के वितरण केन्द्र का स्थान भी है और जिसे जनता के उपयोगार्थ खुला घोषित किया गया है;

(दो) सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित पुस्तकालय से है, जिसे लोक पुस्तकालय घोषित किया हो;

(तीन)स्थानीय निकाय अथवा सहकारी समिति द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित पुस्तकालय से है, जिसे लोक पुस्तकालय घोषित किया गया हो;

(चार)ऐसे पुस्तकालय से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए अर्ह घोषित किया गया है और जिन से राज्य सरकार अथवा पुस्तकालय निधि से किसी भी प्रकार की वित्तीय और पुस्तकों की सहायता मिल रही हो, इसमें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित लोक पुस्तकालय भी सम्मिलित हैं;

(ठ) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(ड) ''राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय'' का तात्पर्य ऐसे पुस्तकालय से है जिसे राज्य सरकार द्वारा राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया हो;

(ढ) ''वर्ष'' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

अध्याय–2

राज्य पुस्तकालय समिति

राज्य पुस्तकालय समिति का गठन और संरचना तथा उसके कार्य

3. (1) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक राज्य पुस्तकालय समिति का गठन करेगी, जो राज्य पुस्तकालय समिति कहलायेगी।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क)	शिक्षा मंत्री	पदेन अध्यक्ष
(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा उत्तरांचल	उपाध्यक्ष
(ग)	सचिव, नियोजन, उत्तरांचल	
(घ)	सचिव, पंचायतीराज एवं सहकारिता, उत्तरांचल	
(ङ)	सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल	
(च)	निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल	
(छ)	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल	
(ज)	राज्य स्तरीय पुस्तकालयाध्यक्ष	
(झ)	चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामित राज्य के विश्वविद्यालयों का एक प्रतिनिधि अथवा कुलपति स्वयं	
(त)	राज्य स्तरीय पुस्तकालय के सबसे पहले नामांकित पाठक सदस्यों में से एक सदस्य	
(थ)	राज्य के पुस्तकालयों से सम्बन्धित विषयों का विशेष ज्ञान रखने वाले दो नामित सदस्य	

(द) राज्य सरकार द्वारा नामित चक्रानुक्रम में दो जिला पुस्तकालयाध्यक्ष

(ध) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय द्वारा नामित एक व्यक्ति

(न) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, सदस्य सचिव

(2) समिति सरकार को इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न समस्त प्रकरणों पर परामर्श देगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जायें।

समिति के कतिपय सदस्यों का कार्यकाल

4. धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समिति के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त समिति का प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन अथवा नामित होने यथास्थिति, की तिथि से तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु समिति के नामित या निर्वाचित सदस्यों की यह पदावधि उनकी उस निकाय की सदस्यता समाप्त होने के तुरन्त बाद समाप्त हो जायेगी, जिसके द्वारा वह नामित या निर्वाचित किये गये थे :

परन्तु अग्रेतर यह कि ऐसा सदस्य जो इस अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि को पदासीन हो, अपने नाम निर्देशन, निर्वाचन अथवा सहयोजन की, जैसी भी स्थिति हो, तिथि से तीन वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा।

समिति के कतिपय सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

5. यदि समिति के नामित, निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कोई स्थान रिक्त होता है तो वह अन्य व्यक्ति के नामांकन अथवा निर्वाचन द्वारा जैसी भी स्थिति हो, धारा 3 में उपबन्धित रीति के अनुसार भरा जायेगा और समिति का ऐसा नामित अथवा निर्वाचित सदस्य पूर्ववर्ती सदस्य के अवशेष कार्यकाल तक पदधारण करेगा।

समिति की बैठकें

6. समिति की बैठकें वर्ष में दो बार होंगी, परन्तु यदि आवश्यक समझा जाय तो कभी भी बैठक आहूत की जा सकती है।

औपचारिकताओं आदि के कारण राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा किये गये कार्य का अविधिमान्य न होना

7. राज्य पुस्तकालय समिति का कोई कार्य मात्र समिति में किसी रिक्ति के होने अथवा समिति के गठन के त्रुटिपूर्ण होने के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

अध्याय–3

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लोक पुस्तकालय प्रकोष्ठ/विभाग

शिक्षा विभाग में लोक पुस्तकालय प्रकोष्ठ/विभाग का गठन

8. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार शिक्षा निदेशालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी। निदेशक, विद्यालयी शिक्षा की संस्तुति के आधार पर शासन निदेशालय में उपलब्ध पदों में से संयुक्त निदेशक/उप निदेशक की नियुक्ति की जायेगी, जिसे विशेष कार्य अधिकारी पुस्तकालय कहा जायेगा, जो निदेशक को अपने निम्नलिखित कर्तव्यों के निष्पादन में सहयोग करेगा :–

(क) राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय तथा उसकी शाखाओं का पर्यवेक्षण;

(ख) लोक पुस्तकालयों से सम्बन्धित सभी मामलों का अधीक्षण एवं निर्देशन;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार घोषित करना कि कौन से पुस्तकालय राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे और ऐसे पुस्तकालयों से सम्बन्धित समस्त मामलों का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन;

(घ) इस अधिनियम के अधीन विहित रीति के अनुसार समस्त जिला पुस्तकालय प्राधिकरणों के कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण;

(च) इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सरकार/राज्य पुस्तकालय समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करना;

(छ) आवश्यकतानुसार पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण;

(ज) राज्य के सम्बन्ध में अथवा राज्य में प्रकाशित किसी भाषा की समस्त पुस्तकों की ग्रन्थ सूची का वार्षिक प्रकाशन;

(झ) इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त एवं अधिरोपित कर्तव्यों का पालन एवं ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग;

(ट) केन्द्रीयकृत वर्गीकरण का सूचीकरण अन्तर्पुस्कालय ऋण की व्यवस्था एवं पुस्तकों के चयन में समन्वय तथा प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्री का अनुरक्षण करना;

(ठ) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के कार्यालय जिला पुस्तकालय प्राधिकरणों द्वारा स्थापित और अनुरक्षित लोक पुस्तकालयों में अपेक्षित पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति करना।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन एवं निगमन

9. (1) लोक पुस्तकालयों के गठन एवं प्रशासन हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में सम्बन्धित जनपद के नाम से एक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण गठित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण उस क्षेत्र के नाम से, जिसके लिए यह गठित किया गया है, निगमित निकाय शाश्वत उत्तराधिकार वाला निकाय होगा और उसकी एक

सामान्य मुहर होगी तथा उसे किसी सम्पत्ति के अर्जन, धारण तथा निस्तारण एवं संविदा करने की शक्ति होगी और उसी नाम से या उसके विरुद्ध वाद योजित किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्राधिकार में पुस्तकालय सुविधा इस प्रकार उपलब्ध कराये कि अधिनियम की अधिनियमिति के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक विकास खण्ड में एक विकास खण्ड पुस्तकालय, प्रत्येक नगरपालिका/कस्बे में एक नगर पुस्तकालय और प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम पुस्तकालय चरणबद्ध योजना बनाकर स्थापित किया जाय।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की संरचना

10. प्रत्येक जनपद में जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष

(ख) कोषाधिकारी, सदस्य

(ग) जिला शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव

(घ) राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा नामित राजकीय महाविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एक और राजकीय पालीटेक्निक और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के एक प्रधानाचार्य, सम्बन्धित विभाग द्वारा नामित किये जायेंगे।

(च) राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षा/लोक पुस्तकालय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो व्यक्ति;

(छ) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष/नगर पंचायत के अध्यक्ष;

(ज) जिला पुस्तकालय के पाठक सदस्यों में से एक;

(झ) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;

(ट) जनपद के विश्वविद्यालय/सम (डीम्ड) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, यदि कोई हो;

(ठ) सूचना विभाग तथा न्यायिक सेवा के एक–एक सदस्य अथवा बार एसोसिएशन द्वारा नामित एक सदस्य।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल

11. (1) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य, जो जिला पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष न हो, नाम निर्देशन अथवा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से तीन वर्ष तक पदधारण करेगा;

(2) नामित अथवा निर्वाचित सदस्य जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में सदस्य होंगे :

परन्तु, ऐसा कोई सदस्य यदि अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से पदधारक है, तो वह नाम निर्देशन अथवा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से तीन वर्षों तक पदधारण करेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अनर्हता

12. (1) कोई व्यक्ति जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का सदस्य चुने जाने और सदस्यता के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

(क) फौजदारी अदालत द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए कारावास की सजा दी गयी है या सजा पाया हो, ऐसी सजा न्यायालय द्वारा प्रतिवर्तित न की गयी हो अथवा उसका अपराध क्षमा न कर दिया गया हो और ऐसी सजा की समाप्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो,

परन्तु, राज्य सरकार ऐसे दण्ड को अयोग्यता न माने जाने के निर्देश दे सकती है, यदि वह

(ख) विकृतचित्त हो और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(ग) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा अनुन्मुक्त दिवालिया हो;

(घ) बिना किसी ऐसे कारण से जो जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की राय में उसे दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है।

(2) यदि किसी व्यक्ति की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो सचिव इस विषय में ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में तुरन्त सूचित करेगा और जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को उसकी आगामी बैठक में उसकी सूचना देगा। यदि ऐसा सदस्य प्राधिकरण की आगामी बैठक की तिथि से पूर्व अपनी सदस्यता समाप्ति की सूचना प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त अपनी सदस्यता के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन करता है तो जिला पुस्तकालय प्राधिकरण आगामी बैठक में आवेदन प्राप्त होने पर अथवा स्वतः उसकी सदस्यता पुनर्स्थापित कर सकता है। परन्तु ऐसे सदस्य को उसके कार्यकाल में दो से अधिक बार इस प्रकार पुनर्स्थापित नहीं किया जायेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के सदस्यों के आकस्मिक रिक्त पदों का भरा जाना

13. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में किसी नामित अथवा निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व स्थान रिक्त होने पर उसे धारा 10 में उपबन्धित रीति के अनुसार अन्य व्यक्ति के नाम निर्देशन अथवा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जायेगा और ऐसा नाम निर्दिष्ट अथवा निर्वाचित व्यक्ति पूर्ववर्ती सदस्य की अवशेष अवधि के लिए पदधारण करेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य

14. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण–

(क) लोक पुस्तकालयों के लिए भूमि व भवनों की व्यवस्था तथा उनके लिए आवश्यक सामग्री, फर्नीचर, फिटिंग तथा अन्य सुविधाओं आदि की भी व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार करना;

(ख) उपलब्ध संसाधनों से ऐसे पुस्तकालयों में पुस्तकें, नियतकालिक पत्रिकाएं, समाचार–पत्र, पाण्डुलिपियां, मानचित्र, कला–विज्ञान सम्बन्धी कार्य व नमूने, प्रकाश स्लाइड, फिल्म, चलचित्र प्रोजेक्टर, रिकार्ड, सी0डी0, आर0 ओ0 एस0 दृश्य श्रव्य सामग्री, आंकिक (डिजिटल) प्रलेख तथा इसी प्रकार की सामग्री जुटाना अथवा राज्य पुस्तकालय समिति को प्रस्ताव/मांग प्रस्तुत करना :

परन्तु, पुस्तकालय में रखी जाने वाली पुस्तकें सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित पुस्तकों की सूची से चुनी जायेंगी। पुस्तकों के चयन के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर सरकार के पूर्वानुमोदन से चयन समिति गठित की जायेगी;

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण ऐसी पत्रिकाओं एवं समाचार–पत्रों को भी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाय, रखेगी, जिनका कुल मूल्य इस खण्ड के प्रयोजन हेतु प्राधिकरण के आय–व्ययक में किये गये प्राविधान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(ग) निदेशक की पूर्व अनुमति से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित किसी लोक पुस्तकालय को अन्यत्र स्थानान्तरित या बन्द किया जा सकता है अथवा किसी अन्य ऐसे लोक पुस्तकालय की सहायता समाप्त की जा सकती है जिसे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित किया जा रहा है;

(घ) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उपहार अथवा दान स्वीकार कर सकती है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, उपहार अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में दान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे और उनका उपयोग उसी पुस्तकालय हेतु किया जायेगा;

(च) समसामयिक एवं जनोपयोगी विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन;

(छ) प्रबन्ध तन्त्र की सहमति और सरकार अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किसी पुस्तकालय का, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें सरकार अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाय, अधिग्रहण;

(ज) लोक पुस्तकालय तथा साक्षरता सम्बन्धी कार्य कलापों के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) साधारणतः इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

15. (1) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन के पश्चात् यथाशीघ्र तथा इसके पश्चात् उतनी बार, जैसा निदेशक द्वारा अपेक्षित हो, प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा जब भी ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, अपने क्षेत्र में पुस्तकालयों की स्थापना और पुस्तकालय सेवा विस्तार हेतु, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा योजनाएं प्रस्तुत करना

से जैसा विहित किया जाय, योजना तैयार कर निदेशक को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को ऐसे परिवर्तनों के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात् ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह उचित समझे, योजना को स्वीकृति प्रदान कर सकेगा। तत्पश्चात् जिला पुस्तकालय प्राधिकरण निदेशक द्वारा इस प्रकार स्वीकृत योजना को लागू करेगा।

(2) सम्बन्धित जिला पुस्तकालय प्राधिकरण से आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत योजना को उपान्तरित कर सकता है अथवा उसके स्थान पर नयी योजना स्वीकृत कर सकता है।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की कार्यकारी समितियां तथा उप समितियां

16. (1) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण सदस्य सचिव की अध्यक्षता में ऐसे सदस्यों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक कार्यकारी समिति नियुक्त करेगा तथा अधिनियम के अधीन ऐसी समिति को पुस्तकालय शुल्क के अधिरोपण की शक्ति के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति के निस्तारण, आय–व्ययक, प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पारित करने की शक्तियां तथा कृत्य प्रत्यायोजित करेगा;

(2) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण किसी संदर्भित ऐसे मामलों की जांच करने, सूचना देने अथवा परामर्श देने के लिए समय–समय पर उप समितियां भी नियुक्त कर सकेगा।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का किसी कार्य की औपचारिकता पूर्ण न किये जाने के कारण अविधिमान्य होना

17. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का कोई भी कार्य केवल इसी कारण से अविधिमान्य न होगा, कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि विद्यमान थी।

जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में सम्पत्तियों का निहित होना

18. धारा 9 की उपधारा (2) के उपखण्ड (क) में परिभाषित लोक पुस्तकालयों के प्रयोजनार्थ जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा किसी क्षेत्र में अर्जित एवं धारित समस्त सम्पत्तियां राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने पर उस क्षेत्र के जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में निहित रहेंगी।

राज्य सरकार की नियमावली बनाने की शक्ति

19. (1) साधारणतः अधिनियम के प्रावधानों के निर्वहन हेतु इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार उप विधियां बना सकेगी;

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उप विधि द्वारा निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं विषयों के लिए व्यवस्था कर सकेगी अर्थात्–

(क) किसी क्षेत्र में लोक पुस्तकालयों में ऐसी शर्तों पर जनता का प्रवेश जो विनिर्दिष्ट की जाय।

(ख) ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा ऐसे पुस्तकालयों की क्षति अथवा उनके दुरुपयोग, सम्पत्ति नष्ट होने या हानि के प्रति गारंटी अथवा प्रतिभूति प्रस्तुत करना;

(ग) ऐसे पुस्तकालयों की ऐसी सम्पत्ति की क्षति, दुरुपयोग, विनाश तथा हानि से बचाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करना;

(घ) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा उप विधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले अथवा अनुपालन न करने वाले किसी व्यक्ति का ऐसे पुस्तकालय से निष्कासन अथवा उसे हटाने के मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों और सेवकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्राधिकार;

(ङ) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की बैठकों को संचालित करना तथा ऐसी बैठकों के कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया तथा किसी बैठक में ऐसे कारोबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति;

(3) उपधारा (2) के अधीन जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा तैयार उपविधि में निदेशक संशोधन कर सकता है, अथवा उसे निरसित कर सकता है किन्तु उसे संशोधित अथवा निरसित करने से पूर्व निदेशक सम्बन्धित जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को इस विषय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

अध्याय—4

वित्त एवं लेखा

20. (1) राज्य सरकार पुस्तकालयों के प्रयोजनार्थ पुस्तकालय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी; पुस्तकालय शुल्क एवं निधियां

(2) राजा राममोहन राय पुस्तकालय फाउन्डेशन, केन्द्रीय सरकार और इसी प्रकार के निकायों से प्राप्त अनुदान के रूप में संग्रहित निधि का उपयोग राज्य के लोक पुस्तकालयों के विकास हेतु किया जायेगा;

(3) प्रत्येक पुस्तकालय प्राधिकरण एक निधि रखेगा, जो "पुस्तकालय निधि" कहलायेगी, जिससे अधिनियम के अधीन होने वाले उसके समस्त व्ययों की पूर्ति की जायेगी;

(4) पुस्तकालय निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, यथा—

(क) अंशदान, उपहार तथा जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को लोक पुस्तकालयों के लाभ हेतु स्थायी निधि से प्राप्त आय;

(ख) पुस्तकालय एवं प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा दिये जाने वाले विशेष अनुदान;

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों या उप विधियों के अन्तर्गत जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत अन्य धनराशियां तथा निधियां।

पुस्तकालय पुस्तक सं० 791

लेखों का रख–रखाव

21. (1) सदस्य सचिव द्वारा जिला पुस्तकालय प्राधिकरण की प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा रखा जायेगा, सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से अपने वित्त एवं लेखा अनुभाग के अधीनस्थ कार्मिकों को इस कार्य के लिए लगाया जा सकेगा;

(2) लेखों का निरीक्षण किया जा सकेगा, लेखा परीक्षा अस्वीकृति एवं अधिभार हेतु उपलब्ध होंगे और अन्य सभी प्रकार से उस रीति से सभी व्यवहृत होंगे, जो विहित की जाय।

अध्याय–5

विविध

प्रतिवेदन एवं विवरणियां

22. प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण अथवा लोक पुस्तकालय के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति समय–समय पर अपेक्षित प्रतिवेदन और विवरणियां तथा सूचनाएं निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रस्तुत करेगा।

पुस्तकालय निरीक्षण

23. यह समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उप विधियों के प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है, निदेशक अथवा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति किसी लोक पुस्तकालय अथवा उससे सम्बद्ध किसी संस्था का निरीक्षण कर सकेंगे।

नियम बनाने की शक्तियां

24. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी;

(2) विशेष रूप से ऐसे नियमों की पूर्वोक्त् शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित प्राविधान किये जा सकेंगे :–

(क) नियुक्ति का तरीका, राज्य पुस्तकालय समिति एवं जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के सदस्यों का नामांकन और निर्वाचन;

(ख) जिला पुस्तकालय प्राधिकारण के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण तथा लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों का प्रकाशन;

(ग) सहायतित पुस्तकालयों को दिये जाने वाले अनुदान के विनियमन और ऐसे पुस्तकालयों के स्तर को बनाये रखने के लिए पुस्तकालय सहायक अनुदान संहिता का प्रकाशन;

(घ) राज्य के पुस्तकालयों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों सम्बन्धी राज्य स्तरीय पंजिकाओं का रख–रखाव;

(ङ) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित लोक पुस्तकालयों में आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति और ऐसे पुस्तकालयों में नियुक्त कर्मचारियों का वर्गीकरण, भर्ती के तरीकों, वेतन और भत्ते तथा अनुशासनात्मक एवं आचरण और अन्य सेवा शर्तों का विनियमन।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–24 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल लोक पुस्तकालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करने की काफी कोशिश की गयी, आप भी अपनी तरफ से माननीय सदस्यों को समझाने की कोशिश करें। ..... (घोर व्यवधान)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ? (किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड 2 से खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या वर्ष, 2005)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

   (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001), जिसे यहां मूल अधिनियभ कहा गया है, में, जहां–जहां "सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय" शब्द आते हैं, वहां उन शब्दों के स्थान पर "उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार" शब्द रखे जायेंगे। मूल अधिनियम का संशोधन

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम,1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–01, विधान सभा, अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद्, अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या–07, वित्त कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग, अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 68583 हजार (छः करोड़ पचासी लाख तिरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 68583 हजार (छः करोड़ पचासी लाख तिरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 171023 हजार (सत्रह करोड़ दस लाख तेईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 171023 हजार (सत्रह करोड़ दस लाख तेईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 117039 हजार (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख उन्तालिस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 117039 हजार (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख उन्तालिस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5151475 हजार (पांच सौ पन्द्रह करोड़ चौदह लाख पचहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5151475 हजार (पांच सौ पन्द्रह करोड़ चौदह लाख पचहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 454598 हजार (पैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख अट्ठानब्बे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 454598 हजार (पैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख अट्ठानब्बे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 38129 हजार (तीन करोड़ इक्यासी लाख उन्नतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 38129 हजार (तीन करोड़ इक्यासी लाख उन्नतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 9791739 हजार (नौ सौ उनासी करोड़ सत्रह लाख उन्तालिस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 9791739 हजार (नौ सौ उनासी करोड़ सत्रह लाख उन्तालिस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3047213 हजार (तीन सौ चार करोड़ बहत्तर लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3047213 हजार (तीन सौ चार करोड़ बहत्तर लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5097684 हजार (पांच सौ नौ करोड़ छिहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5097684 हजार (पांच सौ नौ करोड़ छिहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक खण्ड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या वर्ष, 2005)

31 मार्च, 2006 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2005 है।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2005–2006 के लिए रु0 87065225000 का दिया जाना

2. उत्तरांचल की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2005 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–14 सन् 2005) की अनुसूची के स्तम्भ–7 से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) 87065225000 (आठ हजार सात सौ छः करोड़ बावन लाख पच्चीस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/क्रम–संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01.	विधान सभा	राजस्व	74818	6608	81426
		पूँजी	0	0	0
02.	राज्यपाल	राजस्व	0	19446	19446
		पूँजी	0	0	0
03.	मंत्रि परिषद्	राजस्व	186571	0	186571
		पूँजी	0	0	0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	295924	77121	373045
		पूँजी	200001	0	200001
05.	निर्वाचन	राजस्व	41595	0	41595
		पूँजी	0	0	0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	2086617	7672	2094289
		पूँजी	1180002	0	1180002
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	10011391	9813297	19824688
		पूँजी	670506	4295969	4966475
08.	आबकारी	राजस्व	43385	0	43385
		पूँजी	5000	0	5000
09.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	36591	36591
		पूँजी	0	5000	5000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	2793623	0	2793623
		पूँजी	530609	0	530609
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	13400591	0	13400591
		पूँजी	551187	0	551187
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3019644	0	3019644
		पूँजी	725406	0	725406
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	4537603	0	4537603
		पूँजी	30002	0	30002
14.	सूचना	राजस्व	127679	0	127679
		पूँजी	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	1066817	0	1066817
		पूँजी	134501	0	134501

1	2	3	4	5	6
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	292637	0	292637
		पूँजी	51500	0	51500
17.	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	1608100	0	1608100
		पूँजी	10500	0	10500
18.	सहकारिता	राजस्व	122765	0	122765
		पूँजी	150000	0	150000
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	2298587	0	2298587
		पूँजी	552970	0	552970
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1906326	0	1906326
		पूँजी	1220850	0	1220850
21.	ऊर्जा	राजस्व	2001541	1	2001542
		पूँजी	3559569	0	3559569
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	2116491	22140	2138631
		पूँजी	3503300	0	3503300
23.	उद्योग	राजस्व	529890	0	529890
		पूँजी	2146104	0	2146104
24.	परिवहन	राजस्व	122100	0	122100
		पूँजी	360001	0	360001
25.	खाद्य	राजस्व	156593	0	156593
		पूँजी	7101	0	7101
26.	पर्यटन	राजस्व	142938	0	142938
		पूँजी	336897	0	336897
27.	वन	राजस्व	2224058	0	2224058
		पूँजी	866001	0	866001
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	491600	0	491600
		पूँजी	47407	0	47407
29.	औद्यानिक विकास	राजस्व	456922	2741	459663
		पूँजी	12000	0	12000
30.	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	1732691	0	1732691
		पूँजी	1138457	0	1138457
31.	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	510250	0	510250
		पूँजी	389021	0	389021
	योग :	राजस्व	54399747	9985617	64385364
		पूँजी	18378892	4300969	22679861
	महायोग :		72778639	14286586	87065225

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 अनुसूची प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और यह सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं अपने दल के साथ इस सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। मैं उन सभी को अस्वीकार कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्र गान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र गान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जय गाथा।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 23 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून,
दिनांक : 21 मार्च, 2005

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 वि0 स0/307–23–6–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।

पुस्तकालय ... 791 ... देहरादून